प्रेस विज्ञप्ति

महादेव एप सट्टा मामले में दो महत्वपूर्ण फरार आरोपी राहुल वकटे और रितेश यादव गिरफ्तार

ब्यूरो में विवेचनाधीन अपराध क्रमांक—06/2024 धारा 120—बी, 34, 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. एवं धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 यथासंशोधित अधिनियम 2018 में महादेव एप सट्टा मामले में ब्यूरो की टीम को दो महत्वपूर्ण फरार आरोपियों राहुल वकटे और रितेश यादव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी राहुल वकटे और रितेश यादव अगस्त माह में चन्द्रभूषण वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। आरोपी राहुल वकटे को ब्यूरो की टीम ने दिल्ली से एवं रितेश यादव को गोवा में लोकेट किया जहां वो विगत 7—8 महीने से छिप कर रह रहे थे। आरोपी राहुल वकटे हवाला के पैसे प्राप्त कर उसे वर्मा तक पहुंचाने का काम करता था, साथ ही आरोपी राहुल वकटे के नाम पर 03 रजिस्टर्ड फर्म की भी जानकारी मिली है जिसमें बड़ी मात्रा में आरोपियों द्वारा कैश जमा करवाया गया है। दूसरा आरोपी रितेश यादव पैनल संचालन करने के साथ—साथ हवाला के माध्यम से पैसे प्राप्त कर चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर की मदद करता था । हवाला के 43 लाख रुपये को फ्रीज़ किया गया है । रितेश यादव द्वारा पुणे में महादेव पैनल का संचालन किया जा रहा था जहाँ ब्यूरो की टीम द्वारा पुणे पुलिस का सहयोग लेकर रेड किया गया और पैनल संचालित करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की । उपरोक्त पैनल संचालन करने वालो के विरुद्ध पुणे पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करके कार्यवाही की गयी है । दोनों ही आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड लिया जायेगा । आरोपियों से और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने सम्भावना है ।